



**राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, आजमगढ़**  
**यात्रिक भत्ते का पावना पत्र**

बजट शीर्षक .....  
बाउचर सं0 .....  
पैन नम्बर .....

1. नाम (स्पष्ट शब्दों में) : .....
2. पद एवं पता : .....
3. मूल वेतन : .....
4. यात्रा का उद्देश्य : .....
5. विद्यालय कार्य की तिथि : .....

यात्रा का विवरण						वास्तविक रेल भाड़ा यात्रा का स्वस्य रेल या सड़क मार्ग तथा जिसमें यात्रा की गई	आनुशांगिक व्यय दर		सड़क याता भत्ता		ठहरने का भत्ता		योग		
प्रस्थान		आगमन					राशि		राशि		राशि		राशि		
स्थेन	तिथि	समय	स्थेन	तिथि	समय		रु0	पै0	रु0	पै0	रु0	पै0	रु0	पै0	

प्रमाणित किया जाता है कि इस पावना पत्र में जिस श्रेणी के भाड़े की मांग की गयी है, मैंने उसी श्रेणी में यात्रा की है और इस पावना पत्र जिस यात्रा का विवरण दिया गया है उसके लिए भाड़े में किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं हुई थी एवं प्रमाणित किया गया है कि यह प्रथम पावना-पत्र है एवं इसके पूर्व इस निमित कोई धन आहरित नहीं किया गया है यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा सबसे कम दूरी वाले मार्ग से की गयी थी।

मैंने इस यात्रा देयक के मद में रु0 ..... प्राप्त किये।

एक रुपये का  
रसीदी टिकट  
यदि राशि 500  
रु0 से अधिक  
है।

हस्ताक्षर.....

प्रमाणित किया जाता है कि इन्होंने दिनांक ...../20..... को बैठक में भाग लिया / परीक्षा कार्य किया और यह उनका प्रथम देयक है।	जांच किया एवं यात्रिक पावना-भत्ता पंजिका में अंकित किया पृष्ठ सं0 ..... कम सं0 .....
पूर्ण लेखा परीक्षण किया मात्र ..... रु0 का समायोजन किया जाय। रु0 ..... के भुगतान हेतु परित किया।	लेखा सहायक/ लेखाधिकारी रु0 ..... भुगतान किया जाय। ..... वित्त एवं लेखाधिकारी वेक सं0 ..... दिनांक ..... द्वारा रुपये ..... का भुगतान किया गया।
लेखा सहायक	वित्त एवं लेखाधिकारी

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक संघ अब नवे वेतनमानों में वायुवान/टेल यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राप्ति है।

क्रम सं.	वेतन सीमा	दायरा की जाकिल श्रेणी
1	2	3
1.	वेतन मान रु० 67000 वार्षिक वेतन वृद्धि 03 प्रतिशत के दर से रु० 79000 तथा एचएसी० व उससे अधिक वेतनमान	वायुवान का एकजीवचूल्हि क्लास
2.	ग्रेड वेतन रु० 10,000 तथा 8900	वायुवान झयदा टेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) झयदा शतादी एक्सप्रेस का एकजीवचूल्हि क्लास
3.	ग्रेड वेतन रु० 8700 तथा 7600	टेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 किमी० से अधिक की यात्रा पर वायुवान झयदा शतादी एक्सप्रेस का एकजीवचूल्हि क्लास
4.	ग्रेड वेतन रु० 6600 तथा 5400	टेल को प्रथम श्रेणी झयदा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी) 2-टिकट झयदा शतादी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कर
5.	ग्रेड वेतन रु० 4800, 4600 तथा 4200	टेल को प्रथम श्रेणी झयदा वातानुकूलित कोच 3- टिकट/एप्सी० चेयरकर (शतादी एक्सप्रेस को छोड़कर)
6.	ग्रेड वेतन रु० 4200 से कम	टेल का द्वितीय श्रेणी (स्लोमो)

## 2. अनुषांगिक व्यय

(1) वित्तिय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम- 23 (1) अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान के अधार पर अनुनव अनुषांगिक व्यय से नवे वेतनमान में निम्न प्रकार अनुमन्य होगा :-

क्रम सं० वेतन सीमा

1. ग्रेड वेतन रु० 5400 व अधिक तथा उच्च वेतन मान
2. रु० 4800, रु० 4600, रु० 4200 तथा रु० 2800
3. रु० 2800 से कम

अनुषांगिक व्यय की दर

- 0.35 पैसे प्रति किमी०
- 0.25 पैसे प्रति किमी०
- 0.15 पैसे प्रति किमी०

(2) हवाई यात्रा के दौरान अनुषांगिक व्यय की दर्ते रूपये 30 प्रति यात्रा की दर से अनुमन्य होगा

2. दैनिक भत्ता :-

(क) वित्तिय नियम संग्रह- 3 के नियम 23 (स्ती) के अर्द्धे अनुमन्य फैनेक न्यूटो की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित पुनर्नीकृत दरोंलगू होंगी :-

सरकारी सेवक का वर्ग	क वर्ग के नगरों के लिए दरे जिनमें नगर पालिकाए तथा कॉटेक्ट और निकटवर्ती नोटोफ़ाइट एस्टियाज जहाँ विद्यमान हो सम्मिलित होगी कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नैनीताल, मंसुरी देहरादून और गाजियाबाद	ख वर्ग के नगरों के लिए दरे जिनमें नगर पालिकाए तथा कॉटेक्ट और निकटवर्ती नोटोफ़ाइट एस्टियाज जहाँ कहाँ विद्यमान हो सम्मिलित होगी मुरदाबाद, मस्तिष्ठान, झास्ती, दहलनपुर, मस्तुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर हरिद्वार, फैजाबाद, फिरोजाबाद मुजफ्फरनगर और फरीदाबाद	साधारण दर (स्तम्भ-2,3 में अल्लिखित स्थानों से मिन्न स्थानों के लिए)
1	2	3	4
रु० 8700 तथा इससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतन मान	465.00	375.00	300.00
रु० 7600, रु० 6600 तथा रु० 5400	420.00	330.00	270.00
रु० 4800 व रु० 4600	360.00	285.00	240.00
रु० 4200 तथा 2800	300.00	240.00	195.00
रु० 2800 से कम	195.00	150.00	120.00

यात्राओं पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/टेलवे स्टेशन के बीच की जाने वाले अत्य दूरी की यात्राओं के लिए समस्त सरकारी सेवकों को रु० 4.00 प्रति किमी० के स्थान पर अब रु० 10.00 प्रति किमी० की दर से सङ्केत भत्ता ग्राह होगा उक्त अत्य दूरिया की गणना पूर्ववत् वित्तिय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-14 संपादित परिशिष्ट 5 के आधार पर ही की जाएगी। जनहित में की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में शासकीय सेवकों से वह भी अपेक्षित है कि वे टैक्सी इत्यादि के स्थान पर पर्सिक ट्रांसपोर्ट (रेलगाड़ी या बस) का यात्रासम्बन्ध अधिकाधिक प्रयोग करें।